International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

पुलिस और समाज के मध्य विश्वास

Dr. Mamta Singh

MA, PhD. in Political Science from Dr. BR Ambedkar University, Agra, UP, India

सार

समाज में किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना पुलिस का कर्त्तव्य है। लोग कभी भी अपनी सुरक्षा या किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या के खिलाफ शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। आम जनता पुलिस से अपने बचाव के लिए मदद मांग सकती है और अपनी सुरक्षा के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। देश के नागरिकों की सुरक्षा करना पुलिस का परम कर्त्तव्य है।देखने में आता है कि पुलिस के कड़क रुख के कारण आमजन पुलिस से काफी डरे हुए रहते हैं, इस कारण से कहीं पर भी अपराध या कोई छोटी-मोटी घटनाएं होती है, तो वे पुलिस का सहयोग करने से काफी कतराते है। आमजन का सहयोग न मिलने के कारण पुलिस को अपराधों से निपटने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगो से सहयोग मांगने के बाद भी जब सहयोग नहीं मिलता है, तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए ही पुलिस विभाग ने लोगों के बीच जाकर उनसे जीवंत संपर्क बनाने की ठानी है ताकि पुलिस व आमजन का एक-दूसरे के प्रति हर प्रकार का सहयोग बना रहे। प्रतिदिन पुलिस विभाग के आला अधिकारी सहित पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमेंगे और लोगों से बातचीत कर उनसे संपर्क बनाए रखेंगे।आमजन के मन में पुलिस के प्रति काफी नकारात्मकता होती है। लोगों के मन में बेहतर सहयोग को लेकर विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से ही हमारे द्वारा यह नई पहल शुरु की गई है।

लोग कानून का गंभीरता से पालन करते है, इसका श्रेय पुलिस को जाता है। पुलिस के बैगर देश और राज्य के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। समाज में लोग अच्छी तरह से कानून व्यवस्था और अनुसाशन का पालन करे, पुलिस इसकी निगरानी हमेशा करती है। देश और राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव केन्द्रो और ज़रूरतमंदो की सुरक्षा पुलिस अक्सर करते है। देश में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत हरकत कर रहा है, या फिर कोई भी राह चलता बदमाश लड़की को छेड़ रहा है। ऐसे में पुलिस अपने डंडे की भाषा से अपराधियों को चुप करवाती है और दंड देती है।देश की सारी संपत्ति, सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पुलिस करती है। सभी नागरिको के जान की सुरक्षा करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस कई बार ज़रूरी सर्च ऑपरेशन में अपनी जान दाव पर लगा देती है। पुलिस को हमेशा सतर्क और हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है।

पुलिस अपनी जान मुसीबत में डालकर लोगो के प्राणो की रक्षा करती है। देश की संविधान के अनुसार नियमो और कानून का पालन करना पुलिस का दायित्व है। जब पुलिस कोई मुश्किल केस सुलझाते है तो वह कई दिनों तक घर नहीं आते है, जब तक केस हल ना हो जाए।अगर पुलिस नहीं होती, तो लोग कानून को हाथ में लेकर कुछ भी करते। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण करता और समाज में अराजकता फैलती। ईमानदार और सच्चे पुलिस अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं हटते है। कानून व्यवस्था की नीव देश की पुलिस होती है। राजनेताओ के चुनावों के दौरान रैलियों को सुरक्षा पुलिस प्रदान करती है। राज्य की यातायात व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस संभालती है। सड़को में कानून का हर गाड़ी पालन करे, यह सुनिश्चित करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। कई तरह के हड़ताल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा पुलिस करती है। कई बार जुलुस के वक़्त, कुछ लोग पत्थर फेंकते है, इससे देश की पुलिस रक्षा करती है। चाहे कोई भी मौसम या दिन हो, पुलिस चौकी चौबीसो घंटा खुली रहती है। देश में धर्म, जाति और लिंग के भेद भाव को लेकर अक्सर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अनैतिक अत्याचार करता है। इससे कानून के नियमो का पालन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में देश की पुलिस को कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से संभालना होता है। अपराधी को पकड़कर पुलिस उसे निर्धारित सजा देती है।

परिचय

सामान्यतः किसी अपराध के घटने में पुलिस को दोषी बताकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में सारा दोष अकेले पुलिस के सिर मढ़ दिया जाना उचित है ? क्या अपराधों के घटने में समाज और शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता ?इस प्रश्न के उत्तर की जड़ें दूर कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती हैं, जहाँ राज्य के प्रारंभ और उसमें पुलिस के उद्भव एवं उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हमारी आधुनिक पुलिस तो ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आई। उस दौरान अपने कानूनों को जनता से मनवाने के लिए पुलिस-व्यवस्था की गई थी। उस समय अपराधों की संख्या बहुत कम थी, और वे इतने संगीन भी नहीं थे। परंतु आज बढ़ते अपराधों के कारण हमारी जनता, खासतौर पर बच्चे और महिलाएं भयाक्रांत

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

हैं। पुलिस का कर्तव्य है कि वह जनता को भयमुक्त करे। लेकिन हमारी बहुत सी सरकारें आज भी पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा से ज़्यादा अपने लाभ के लिए कर रही हैं।

अगर हम पुलिस के कर्तव्यों की बात करें, तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि आखिर एक आम आदमी पुलिस से क्या अपेक्षा रखता है, और क्या पुलिस उन अपेक्षाओं पर खरी उतर पाती है? अनेक सर्वेक्षणों में यह बात सामने आती है कि लोगों को संपत्ति से ज़्यादा अपने जीवन की रक्षा के लिए पुलिस-सहायता की आवश्यकता होती है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और लोगों के जीवन की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तुलना में भारत में पुलिस दल की संख्या में असाधारण वृद्धि की जा चुकी है। फिर भी यहाँ एक लाख लोगों के लिए 140 पुलिसकर्मी रहते हैं, जो कि अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तुलना में बहुत ही खराब अनुपात है।

पुलिस की आलोचना सबसे ज़्यादा उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जी हजूरी और उनकी सुरक्षा में संलग्न रहने को लेकर की जाती है। इसे देखते हुए संवैधानिक प्रजातंत्र में दी जाने वाली समानता सिर्फ नाम की रह जाती है। यही कारण है कि देश में 10,000 से भी अधिक पुलिस थाने होते हुए भी लोग निजी सुरक्षा-व्यवस्था पर अधिक भरोसा करते है। ऐसी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। भारत के लिए यह शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है।[1]

भारत की जनता को सुरक्षित रखने और अपराध में कमी के लिए दो तरह से काम किया जा सकता है। (1) भारतीय पुलिस के युवा अधिकारियों का एक ऐसा दल तैयार किया जाए, जो जनता के बीच जाकर नए प्रयोग करने के लिए तैयार हों। ये अधिकारी सरकार के कम-से-कम खर्च पर जनता की सुरक्षा के तरीकों को अपग्रेड करने की कार्ययोजना तैयार करें। (2) पुलिस की कार्यवाही में इंटरनेट के प्रयोग को बढ़ाया जाए। दिन-प्रतिदिन की पुलिस व्यवस्था में सोशल मीडिया को जरिया बनाया जाए। ऐसा किया भी जा रहा है। लेकिन व्यापक स्तर पर करने की जरूरत है। अपराधों और अपराधियों की जानकारी को शहर के प्रमुख केंद्रों पर प्रचारित किया जाए। लोगों को ई-मेल या सोशल मीडिया के जरिए अपराध दर्ज कराने को पेरित किया जाए। इस क्षेत्र में प्रकाशन जगत और टेलीविजन जैसे माध्यम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय पुलिस के भीमकाय स्वरूप के बावजूद उस पर लगातार दबाव बनाए जाने की जरूरत है, जिससे वह अपनी मुस्तैदी को बरकरार रखे।

अवलोकन

कोविड-19 से संबंधित भारत की जन स्वास्थ्य-रक्षा के लिए पुलिस के दो स्पष्ट कार्य हैं: सार्वजनिक कानून व्यवस्था का अनुपालन और समाज सेवा का प्रावधान. लॉकडाउन के आदेश के बाद, पुलिस एजेंसियों ने वाहनों में बैठकर या पैदल ही पैट्रोलिंग करते हुए या वाहन जाँच और चौराहों पर सामाजिक दूरी के नियम को कठोरता से लागू किया है।. इन तकनीकों में “कानून-व्यवस्था” के उन पुराने तौर-तरीकों को ही अपनाया गया है, जिन्हें पुलिस को प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है और जो उनकी संगठनात्मक संस्कृति में निहित है। व्यावहारिक शब्दों में लॉकडाउन लागू करने का मतलब है भीड़ का नियंत्रण और इस प्रक्रिया में सार्वजनिक स्थलों को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और कभी-कभी बलपूर्वक कार्रवाई भी की जाती है ताकि व्यवस्था हर हाल में बनी रहे।

भारतीय मीडिया में कानून-व्यवस्था लागू करने की प्रणाली को लॉकडाउन के संदर्भ में पुलिस “कर्फ़्यू” की संज्ञा दी गई है. राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में पुलिस ने “महा कर्फ़्यू” लगाया था. इस कर्फ़्यू के दौरान दूध और दवाओं की डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई थी। कोविड-19 को फैलने से रोकने में इस कार्रवाई की शुरू में बहुत प्रशंसा हुई। महा कर्फ़्यू के पीछे यही तर्क था कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ने के लिए अपने विवेक का सीमित उपयोग ही कर सके और इसके कारण लॉकडाउन के नियम तोड़ने के लिए लोगों को बढ़ावा मिल सकता है और इससे लोगों में अव्यवस्था बढ़ने की आशंका हो सकती है और विषाणु को रोकने के प्रयास निष्फल हो सकते हैं, लेकिन भीलवाड़ा की पुलिस ने महा कर्फ़्यू को लागू करने के लिए कानून-व्यवस्था की प्रणाली से एक कदम आगे बढ़कर नागरिकों की मदद के लिए नगर निगम की एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए योजनाबद्ध रूप में सप्लाई को संग्रहीत करके डिलीवरी सिस्टम भी विकसित कर लिया। [2]

भीलवाड़ा के महा कर्फ़्यू ने पुलिस के कार्यों में जनता सेवा का एक नया आयाम जोड़ दिया है। इसके कारण पुलिस अधिकारी संकटग्रस्त नागरिकों की सेवा में जुट गये हैं। हालाँकि अधिकारियों के इस सेवा भाव की चर्चा मीडिया में कम ही होती है, लेकिन

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

हमारे शोधकार्य में इसका बार-बार उल्लेख होता है. बीट कांस्टेबलों ने खाने-पीने की सामग्री और दवाओं के दैनिक वितरण की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है और पुलिस थाने आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं. कुछ ज़िलों में तो पुलिस थाने भुखमरी से लड़ने के लिए नागरिक निकायों के साथ मिलकर भोजन हब बन गए हैं।

आइए मध्य प्रदेश के ज़िलों के कुछ उदाहरणों पर गौर करें:

इंदौर में कोविड-19 के बारे में पुलिस थानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित महिलाओं के स्वयंसेवी दल 'ऊर्जा' (URJA) नामक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया है. इसका हमने गैब्रिएल क्रुक्स-विसनर और वर्जीनिया विश्वविद्यालय के संदीप सुखटणकर के सहयोग से और जे-पाली की मदद से अध्ययन किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों को संगठित करके वयोवृद्ध लोगों के घर जाकर उन्हें खाद्यान्न और दवाएँ वितरित करवाई हैं. लोगों से दान लेकर पुलिस की गाड़ियों से चक्कर लगाते हुए पुलिसकर्मियों ने सड़क पर रहने वाले लोगों में साबुन, पानी और भोजन बाँटा है। उज्जैन में ज़िला पुलिस ने प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के अधिकारियों के साथ मिलकर झुग्गियों में रहने वाले लोगों और नगर से गुज़रने वाले प्रवासी मज़दूरों को भोजन बाँटने का काम किया है. पुलिस, कृषि विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर एक अस्थाई रसोईघर बनाया है, जिसमें हर रोज़ 15,000 पैकेट भोजन बनाकर उन्हें ज़रूरतमंदों में बाँटा जाता है।

जबलपुर के एक कांस्टेबल ने बताया कि बच्चों के साथ कुछ महिलाएँ उसके पुलिस थाने में आईं और अपनी दुर्दशा की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे झुग्गी में रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहाँ के निवासी कई दिनों से भूखे हैं. कांस्टेबल ने एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क करके उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई और उसके बाद उस एनजीओ ने झुग्गी में रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था कर दी।

खाद्य सुरक्षा से भी आगे बढ़कर पुलिस अधिकारी जन स्वास्थ्य संदेशवाहकों की नई भूमिका निभाने लगे हैं और पुलिस स्टेशन और चैकपॉइंट भारत के जन स्वास्थ्य अभियान के केंद्र बन गए हैं। ज़िला पुलिस के प्रमुख अधिकारियों ने कोविड-19 की आपात् फ़ोन लाइनें शुरू कर दी हैं ताकि नागरिकों की आवश्यकताओं की शीघ्रता से पूर्ति की जा सके। कुछ थानों के बाहर तो सामाजिक दूरी बनाये रखने और हाथ धोने के महत्व को समझाने के लिए बैनर भी लगा दिये गए हैं। कुछ अधिकारी तो यातायात के विराम स्थलों पर हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन भी करने लगे हैं. इसी प्रकार के प्रयास पुलिस संगठन के अंदर भी चल रहे हैं. उदाहरण के लिए ग्वालियर ज़िले के कांस्टेबलों ने अपने इलाके के साथियों के बचाव के लिए कपड़े से मास्क भी बनाये हैं।

पुलिस मास्क बाँटते हुए

यद्यपि भारत में पुलिस पर राज्य सरकारों का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी पुलिस की पहल का स्वरूप हर राज्य में अलग-अलग है। केरल में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और इसे व्यापक रूप में स्वीकार भी किया जाता है, फिर भी 30 जनवरी को कोविड-19 का पहला मामला केरल में ही सामने आया. केरल में इसके संक्रमण की दर दूसरे स्थानों की तुलना में इस समय काफ़ी नीची लगती है और बीमारी से ठीक होने की दर अधिक लगती है (देश भर में परीक्षण की सीमित और असमान स्थिति के बावजूद). जागरूकता फैलाने के लिए केरल की पुलिस ने सामाजिक दूरी बनाये रखने और हाथ धोने से संबंधित रंगीन वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किये हैं और इसमें मलयालम की लोकप्रिय फ़िल्म का संगीत भी

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

दिया है. पुलिस आगे बढ़कर जन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी पहल करती है, इस विषय पर और शोध करने की आवश्यकता है।[3]

सामाजिक सेवा के उदाहरण देकर हम पुलिस का यशोगान नहीं करना चाहते बल्कि उनके काम के एक मूलभूत पक्ष को उजागर करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था और सामाजिक सेवा को साथ-साथ रखकर, खास तौर पर जटिल समस्याओं के प्रबंधन के संदर्भ में हम पुलिस के व्यवहार और प्रदर्शन को बेहतर समझ सकते हैं परंपरागत कानून व्यवस्था के कार्य के संदर्भ में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि सार्वजनिक स्थलों को नियंत्रित करने के अभियान में कई अधिकारी निरंकुश रवैया अपनाते हैं। तारिक थाचिल के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पिछले साल 33 प्रतिशत शहरी प्रवासियों ने बताया है कि पुलिस ने उनके साथ हिंसक बर्ताव किया। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों द्वारा खाने के ठेले वालों को धक्का देते हुए और घर लौटते हुए प्रवासी मज़दूरों पर लाठी बरसाते हुए बहुत से वीडियो दिखाये गए हैं. । इन तरीकों को अपनाकर पुलिस लोकतांत्रिक मूल्यों और पेशेवर मानकों का उल्लंघन करती है. जब व्यवस्था को बनाये रखने का कोई अन्य उपाय कारगर नहीं होता तभी पुलिस ऐसे तरीकों को अपनाने के लिए विवश होती है।.

इसके विपरीत जब पुलिस चुनावों और धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन करती है तो हमारे शोध के अनुसार पुलिस एजेंसियाँ नागरिकों को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बनाती हैं।. अधिकारी बहुत ही सटीक रूप में योजना बनाते हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और शांति बनाये रखने के लिए धार्मिक नेताओं और समुदाय के नेताओं को साथ लाने का प्रयास करते हैं।. यही स्थिति धार्मिक उत्सवों में भी रहती है. ऐसे उत्सव भारत के बहु-धार्मिक समाज में अक्सर मनाये जाते हैं. भीड़, यातायात और जुलूसों के प्रबंधन के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना पड़ता है और नागरिकों का समर्थन जुटाना पड़ता है और बहुत से लोग तो आगे बढ़कर पुलिस की मदद करते हैं।. जब पुलिस योजनाएँ बनाती है तो समाज से सुझाव लेकर व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपलब्ध साधनों का भी प्रयोग करती है।.

विचार – विमर्श

पुलिस की संगठनात्मक क्षमता में कुछ ऐसी कमियाँ अभी भी मौजूद हैं जिन पर नीति-निर्माताओं को ध्यान देना होगा. पहली बात यह है कि पुलिस का प्रशिक्षण सही अनुपात में जन-व्यवस्था पर केंद्रित नहीं है. । इस प्रशिक्षण का अधिकांश ज़ोर “हार्ड” स्किल के प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जैसे हथियारों का प्रयोग, युद्ध कौशल, परेड, भीड़ पर नियंत्रण का अभ्यास और अन्य शारीरिक क्षमता- ये सभी महत्वपूर्ण हैं।. इस बीच भीड़ प्रबंधन, संचार और समन्वय, समझौता वार्ताओं और संघर्ष निवारण जैसी सॉफ़्ट स्किल पर कम ध्यान दिया जाता है. । पुलिस प्रशिक्षार्थियों पर अपने देशांतरपरक शोध में हमने पाया है कि अधिकांश नये अधिकारियों को प्रशिक्षण के आरंभ से ही उच्चतम प्राथमिकता के तौर पर हार्ड स्किल का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन फ़ील्ड का अनुभव प्राप्त करने के बाद उनके विचार बदल जाते हैं और उन्हें व्यवहारपरक क्षमता और सॉफ़्ट स्किल का अधिक महत्व समझ में आने लगता है।. हमारे शोध कार्य से पता चलता है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और सॉफ़्ट स्किल के बीच असंतुलन है, लेकिन अगली पंक्ति के अधिकारी काम पर जाने के बाद इसे उपयोगी पाते हैं।.[4]

दूसरी बात यह है कि सामुदायिक पुलिस सेवा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पुलिस की संगठनात्मक प्रकृति में इसे समन्वित किया जाना चाहिए।. प्रशिक्षण अकादमियों में सामुदायिक पुलिस सेवा के लिए बहुत कम समय रखा जाता है, लेकिन दैनंदिन की फ़ील्ड की स्थितियों में इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है और संकट के समय तो बहुत बार ज़रूरत पड़ती है।. सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए भारत के सभी राज्यों में प्रभावी सामुदायिक पुलिस सेवा के अभ्यास के अनेक मामले सामने आये हैं।. लेकिन अक्सर इस तरह के मामले स्थानीय होते हैं और तदर्थ रूप में जनोन्मुखी पुलिस कार्रवाई और पहल करके उन्हें निपटा लिया जाता है, लेकिन पुलिस के इन श्रेष्ठ कार्यों से सीख लेकर उन्हें व्यापक रूप से संगठनात्मक कार्य दिशा में प्राथमिकता देने में कमी रह जाती है।. निर्धारित बजट के साथ-साथ सामुदायिक पुलिस सेवा के लिए कहीं अधिक व्यावहारिक फ़ील्ड-आधारित प्रशिक्षण, नियमित निगरानी और सहयोग की आवश्यकता है।. नागरिक एजेंसियों के पास इसकी अपनी विशेषज्ञता और नैटवर्क होता है. पुलिस, खास तौर पर दुर्लभ समुदायों तक अपनी पहुँच बनाने के लिए अपनी इस विशेषज्ञता और सामाजिक सरोकार से जुड़ाव का लाभ उठा सकती है।.

अंततः इस बात की बेहद आवश्यकता है कि पुलिस एजेंसियों को राज्य की योजना प्रक्रिया से संबद्ध किया जाए. ऐसा करके पुलिस सेवा और विकास के व्यापक लक्ष्यों के बीच संपर्क सूत्रों को चिह्नित करने में नीति-निर्माताओं को मदद मिल सकती है

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

और अंतःअभिकरणों के समन्वय में सुधार लाया जा सकता है. संभावना तो है कि कोविड-19 से राज्य के विभिन्न प्रभाग सीख ले सकेंगे।

विभिन्न कार्यक्षेत्रों से संबंधित संस्थागत जुड़ाव की श्रृंखला के उपयोग से महामारी के विषाणु के संचार से रोकने, जन स्वास्थ्य के संरक्षण और लोकजीवन को पोषित करने के उपक्रम जितनी प्रभावी क्षमता रखते हैं, उतनी कमज़ोरियों से भी ग्रस्त हैं। संस्थागत क्षमता और लचीलेपन के लिए पुलिस की सामाजिक भूमिका का संज्ञान लेते हुए पुलिस और राज्य के संगठनों को परस्पर मिलकर और गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के साथ सहयोग की भावना से काम करना होगा।

पुलिस अपराधों के रोकथाम करने के साथ ही समाज हितकारी कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है और कोरोना वैश्विक महामारी में पुलिस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। ब्रिटिश काल से चली आ रही पुलिस की दमनकारी छवि को बदलते हुए इसकी सकारात्मक छवि आमजन में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपराधों के स्वरूप लगातार बदलने तथा नई-नई प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पुलिस से पहले की तुलना में उम्मीदें कई गुना बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मुद्राओं के चलन के कारण साइबर मनी लान्ड्रिंग की नई चुनौती उभर कर सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिस सेवा और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में गहन शोध व अनुसंधान के लिए पुलिस सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर वर्तमान में आ रही चुनौतियों तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने की दिशा में यह विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेजी से बदलते हालात, साइबर अपराधों सहित सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों में मजबूती हासिल करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों का महत्व बढ़ जाता है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी की पेशकश की है। इसके माध्यम से जोधपुर में फोरेंसिक साइंस इंस्टीटयूट स्थापित हो सकेगा, जिससे फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे और पुलिस जांच का कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो सकेगा।

परिणाम

कोरोना लॉक डाउन के बीच पुलिस समाज सेवक की भूमिका में नजर आई। पुलिस ने गरीबों, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि वे लॉक डाउन का पालन करें। अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें।

आम अवाम को नहीं बल्कि अपराधियों को पुलिस का भय होना चाहिए। जनता से मित्रवत व्यवहार किया जाय तो वह हर समय पुलिस को सहयोग करने में तत्पर रहेगी। व्यवहार से ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। यह बातें अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) एसके भारद्वाज ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनियां के कार्यालय में गुरुवार को जागरण से वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने एसडीपीओ सुरेश कुमार के कार्यो पर संतोष जाहिर किया। उन्हें विभागीय कार्यो से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। दो दिनों तक उन्होंने एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। एक-एक फाइलों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। इसके बाद एसडीपीओ सुरेश कुमार द्वारा अनुसंधान किए गए मामलों का घटना स्थल पर जाकर सत्यापन किया। श्री भारद्वाज ने जागरण से वार्ता के दौरान पुलिस की कार्य शैली, सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कार में आई गिरावट पर बेबाक राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए है। कानून से ही पुलिस को ताकत मिलती है। इसका सदुपयोग

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

होना चाहिए। पुलिस का काम जनता को नहीं बल्कि अपराधियों को डराना है। आम आवाम के साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार हो जिससे उसे सुकून मिले। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। जनता का विश्वास हासिल करना आसान नहीं है। अपराध पर नियंत्रण के लिए जनता को विश्वास में लेना होगा। उसे महसूस कराना होगा कि पुलिस मित्र है। अभियुक्तिकरण से पहले इस बात पर कई बार सोचना चाहिए कि कोई निर्दोष न फंसे। निर्दोषों को पुलिस से काफी उम्मीद रहती है। इस पर पुलिस को खरा उतरना चाहिए। हर व्यक्ति को निर्भीकता के साथ काम करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति थाना में पहुंचे तो उसे डांटकर भगाने की अपेक्षा उसे सम्मान देकर पुलिस पदाधिकारी समस्या को सुने। यथा शीघ्र उसका समाधान करे। जनता में पुलिस की ईमानदार छवि होनी चाहिए। इससे लोगों में पुलिस के प्रति आदर और सम्मान का भाव होगा। समाज में बढ़ती अनुशासन हीनता पर एडीजी ने चिंता जाहिर करते हुए दुर्भाग्य पूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी समाज में अच्छा संदेश देना चाहिए।[5]

निष्कर्ष

कमजोर वर्गों के लिए जिस मंशा को लेकर संविधान में विशेष कानून बनाए गए हैं। उसे पूरा करने के लिए विशेष सर्तकता बरतते हुए पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को संवेदनशील होकर प्रकरण में कार्यवाही करना चाहिये। संवेदनशील क्षेत्रों में जन-चेतना शिविर जैसे अन्य कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों में जागरूकता लाई जाये। खाली पदों पर भर्ती के लिये मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में सहयोगी बनते हुए विवेचना एवं अभियोजन अधिकारी को राज्य के प्रतिनिधि के रूप मे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिये एक होकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को व्यापक बनाया गया है। निष्पक्ष होकर कार्यवाही करने से प्रत्येक नागरिक में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। समस्याओं का पूर्व आकलन करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता से सामाजिक सशक्तिकरण के लिये कार्य करें। पुलिस को सामाजिक न्याय, जनजाति विकास विभाग सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर समन्वित रूप से अपराध होने से रोकने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने होगें। एफ.आई.आर. सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, अत: इसे लिखने में सतर्कता बरतें। एफ.आई.आर. ऐसी हो जिससे विवेचना में सहायता मिले। डीजीपी श्री शुक्ला ने कहा कि ऐसे सेमीनार के माध्यम से अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों के मध्य विस्तृत चर्चा होती है तथा अनौपचारिक संवाद से कई शंकाओं का समाधान होता है। पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी समन्वित रूप से एक टीम के रूप में कार्य करें।

संदर्भ

1. ओगबर्न और निमकॉफ: समाजशास्त्र। 2013
2. किंग्सले डेविस, मानव समाज, 2015
3. "संस्कृति एक मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है" - एम.जे. हर्सकोविट्स, मैन एंड हिज़ वर्क, 2017
4. संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हम सोचते हैं और जैसा नहीं है, समाज के सदस्य।" – रॉबर्ट बिएरस्टेड, द सोशल ऑर्डर, 2018
5. "संस्कृति ज्ञान, अभ्यास और में आदर्श तरीकों की सामाजिक रूप से प्रसारित प्रणाली है, कलाकृतियों के साथ विश्वास।" – ए.डब्ल्यू. ग्रीन, 2020